इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन

अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस - संख्या 2127 वर्ष 2025

Translated Version. Not for Legal Use.

अतीकुल रहमान

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा गृह सचिव, एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रिपु दमन शाही, महेंद्र पाल चौहान, नीरज तिवारी, सुमित कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, अजय शुक्ला, रोहित त्रिपाठी

न्यायालय संख्या-13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. मामले की सुनवाई के लिए पुकारा गया। जैसा कि आदेश-पत्र से प्रतीत होता है, नोटिस तामील होने के बावजूद निजी विरोधी पक्ष संख्या 4 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों में और साथ ही इस न्यायालय के दिनांक 13.03.2026 के आदेश का संज्ञान लेते हुए जिसमें कहा गया है कि *"यह स्पष्ट किया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख पर, बीमारी सहित किसी भी आधार पर मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा, और पहली ही पुकार पर उचित आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें विरोधी पक्ष संख्या 4 के प्रतिकूल आदेश भी शामिल हो सकता है"* न्यायालय ने प्रकरण में आगे की कार्यवाही की।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना, जिन्होंने आज न्यायालय में अपना प्रति-शपथपत्र दाखिल किया है और जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है तथा साथ ही अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का भी अवलोकन किया।

3. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक द्वारा दाखिल की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 305 वर्ष 2025 में अभियुक्त है यह प्रकरण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(2)(एम), 69, 61(2), 308(2) और उत्तर प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत थाना वजीरगंज, जिला लखनऊ में दर्ज है।

4. दिनांक 24.10.2025 के आदेश के द्वारा इस न्यायालय ने आवेदक के हितों की रक्षा की थी। संदर्भित आदेश दिनांक 24.10.2025 निम्नानुसार है:-

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.डी. शाही तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह अग्रिम जमानत आवेदन उस आवेदक द्वारा दाखिल की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 305 वर्ष 2025 में शामिल है। यह प्रकरण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(2)(एम), 69, 61(2), 308(2) और उत्तर प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत, पुलिस थाना - वजीरगंज, जिला लखनऊ में दर्ज है।

3. पीड़िता ने यह बात स्वीकार की है कि वह एक अभ्यासरत अधिवक्ता है, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष है, और वह आवेदक से प्यार करती थी। आवेदक एक ऐसे अधिवक्ता का कनिष्ठ अधिवक्ता था, जिसके अधीन पीड़िता भी कार्य करती थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप ये हैं कि आवेदक ने शादी का वादा करके, एक बहुमंजिला इमारत की 8वीं मंजिल पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आवेदक ने मना कर दिया और उसे बताया कि जब वे शारीरिक संबंध बना रहे थे, तब उनके वीडियो और तस्वीरें ले ली गई थीं। इसमें आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने उन वीडियो और तस्वीरों को दिखाकर, पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आवेदक ने उसे यह धमकी भी दी कि जब भी वह उसे बुलाएगा, उसे आना होगा और उसके निर्देशों का पालन करना होगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि जून 2024 से

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

पीड़िता ने न्यायालय जाना बंद कर दिया था। इसके बाद आवेदक ने बार-बार फोन करके उसे परेशान भी किया, परन्तु जब पीड़िता ने आवेदक से मिलने से मना कर दिया, तो उसने 5,00,000 रुपये की मांग की। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि 06.02.2025 को पीड़िता की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई, परन्तु उसके बाद भी आवेदक उससे मिलने आया और अपने पुराने रिश्ते के नाम पर उससे मिलने की ज़िद की।

एफआईआर में आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि अपनी शादी के दौरान उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने आवेदक से एक प्लॉट/भूखण्ड बेचने में मदद करने का अनुरोध किया और यह विश्वास दिलाया कि वह अंतरंग वीडियो और तस्वीरें वापस करने के बदले 5,00,000 रुपये देगी। प्लॉट बेचने पर पीड़िता को 10,00,000 रुपये मिले, जिसमें से 5,00,000 रुपये आवेदक को दे दिए गए। आवेदक ने पीड़िता से कहा कि बिक्री का सौदा पक्का हो जाने के पश्चात वह उसे वे तस्वीरें और वीडियो सौंप देगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि चूंकि आवेदक उस प्लॉट/भूखण्ड को बेचने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, जिसे अमित रस्तोगी नाम का एक व्यक्ति खरीद रहा था, इसलिए अमित ने आवेदक को 10,00,000 रुपये का भुगतान किया, परन्तु आवेदक ने वह पैसा पीड़िता को नहीं दिया, अपितु उसे धमकी दी कि वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा और यह भी कहा कि उसकी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक कर दिए जाएँगे। इसी वजह से पीड़िता ने प्लॉट/भूखण्ड बेचने से मना कर दिया, जिस पर आवेदक ने उसे धमकी दी कि वह उससे

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

90,00,000 रुपये लेगा, और साथ ही उसने शादी करने तथा धर्म परिवर्तन करने के लिए भी दबाव डाला।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन एफआईआर 15.11.2025 को दर्ज की गई थी, यद्यपि एफआईआर में बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाने की कथित घटना की तारीख का उल्लेख नहीं है। इसके पश्चात विवेचना अधिकारी द्वारा सतही विवेचना की गई। आवेदक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करवाने हेतु एक रिट याचिका भी दाखिल की थी, अर्थात आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 11196 वर्ष 2025, अतीकुल रहमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, जिसे 26.11.2025 के आदेश के तहत वापस ले लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया था, और आवेदक को उचित विधिक उपचार अपनाने की छूट दी गई थी। इसके पश्चात आवेदक ने 12.03.2025 को सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन किया, जिसे 19.12.2025 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि एक एनसीआर/गैर संज्ञेय रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से 14 दिन बीत चुके हैं, परन्तु अभियुक्तगण को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, साथ ही यह भी आरोप था कि अभियुक्त पीड़ित के ससुर पर समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे थे, और यह अनुरोध भी किया गया था कि अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पुलिस स्टेशन वजीरगंज, लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत 29.11.2025 को दर्ज की गई एनसीआर//गैर संज्ञेय रिपोर्ट संख्या 110 वर्ष 2025 से यह विदित होता है कि पीड़ित का उद्देश्य आवेदक की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है, न कि निष्पक्ष जांच करवाना। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करवाने हेतु याचिका दाखिल की थी, परन्तु बाद में उसे वापस ले लिया गया, साथ ही उन्हें उचित कानूनी उपचार अपनाने और अग्रिम जमानत हेतु आवेदन करने की छूट भी दी गई थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक अभ्यासरत अधिवक्ता हैं, और इससे पूर्व भी पड़ोसियों के मध्य हुए किसी झगड़े के चलते दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज किए गए थे, उन मामलों में आवेदक और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मोहम्मद वाजिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 2340 वर्ष 2023) के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है और यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष के प्रकरण में घटना की कोई तारीख और समय स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए ऐसी सभी सामग्री के अभाव में केवल अस्पष्ट और सामान्य आरोपों के आधार पर उन पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता। इसके अतिरिक्त समाधान पुत्र सीताराम मनमोथे बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक अपील संख्या 5001 वर्ष 2025) के प्रकरण में दिए गए

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use

निर्णय का भी संदर्भ प्रस्तुत किया है और यह तर्क दिया गया है कि आपसी सहमति से संबंध बनाने वाले युगल के मध्य केवल रिश्ता टूट जाने मात्र से ही कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती। यह तर्क बलपूर्वक दिया गया है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि आवेदक और पीड़िता दोनों ही कनिष्ठ अधिवक्ता थे और प्रारम्भिक चरण में वे एक-दूसरे से प्रेम करते थे। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक एक विधि का पालन करने वाला नागरिक है और वह विवेचना में पूर्ण सहयोग करने हेतु तैयार है, अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

7. माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक की प्रार्थना का विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। वे आगे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि संबंधित न्यायालय द्वारा एन.बी.डब्लू (गैर-जमानती वारंट) के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत कार्यवाही पहले ही जारी की जा चुकी है, और इसलिए इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष केस डायरी भी प्रस्तुत की है, जिससे यह पता चलता है कि विचाराधीन प्रकरण की विवेचना श्री सतीश चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ निरीक्षक, थाना वजीरगंज, लखनऊ द्वारा की जा रही है, जिसमें 16.11.2025 को चक प्रथम सूचना रिपोर्ट और रोजनामचा को शामिल करते हुए केस डायरी संख्या 1 तैयार की गई थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use

पीड़िता का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत भी दर्ज किया गया है, जिसमें उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताई गई कहानी को ही दोहराया है। इसके पश्चात उसके बताए जाने पर विवेचना अधिकारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा-नजरी तैयार किया गया और यह बताया गया कि घटना सबसे पहले न्यायालय भवन की 8वीं मंज़िल पर स्थित न्यायालय संख्या 816 में हुई थी, यद्यपि घटना की तारीख की जानकारी नहीं दी गई थी। विवेचना अधिकारी ने उपर्युक्त पर्चे में यह भी उल्लेख किया कि पीड़िता को 16/11/2025 को शाम 07:00 बजे अस्पताल लाया गया था, परन्तु उसने अपनी आंतरिक चिकित्सकीय-विधिक जाँच/ मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करवाने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात 17/11/2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया, जिसका उल्लेख केस डायरी 2 में किया गया है। तत्पश्चात् केस डायरी 3 तैयार की गई, जिसमें पुनः यह उल्लेख किया गया कि पीड़िता ने अपनी चिकित्सकीय-विधिक जाँच करवाने से इनकार कर दिया। केस डायरी 4 जो 20/11/2025 को तैयार की गई थी, में अस्पष्ट टिप्पणियाँ की गई थीं, जिसमें यह कहा गया था कि विवेचना अधिकारी ने संदिग्ध स्थानों पर तलाशी ली, परन्तु उसने न तो उस स्थान का उल्लेख किया और न ही उस व्यक्ति का जिससे वह तलाशी के दौरान मिला था। पर्चा संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 भी इसी प्रकार से तैयार किए गए थे। इसके पश्चात 25/11/2025 को पर्चा संख्या 10 तैयार किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि आवेदक विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है और इसलिए संबंधित न्यायालय के समक्ष एक गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया गया। पर्चा 11 भी 30/11/2025 को एक ही ढर्रे

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use

पर तैयार किया गया था, जिसमें तलाशी की जगह और वहां मिले व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया था। केस डायरी 12 (दिनांक 6/12/2025), केस डायरी 13 (दिनांक 7/12/2025), केस डायरी 14 (दिनांक 10/12/2025), केस डायरी 15 (दिनांक 14/12/25) और केस डायरी 16 में विवेचना अधिकारी ने पाया कि उन्हें यह जानकारी मिली थी कि आवेदक अपनी संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहा है, यद्यपि जिन लोगों से यह जानकारी मिली थी, उनके बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। पर्चा 17 (दिनांक 19/12/2025) में यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत एक आदेश पारित किया गया था, और पर्चा 18 जो 20/12/2025 को तैयार किया गया था में यह बताया गया है कि न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें आवेदक का नाम भगोड़ा के तौर पर लिखा गया है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के साथ-साथ ऊपर चर्चा की गई केस डायरी पर विचार करते हुए, चूंकि एफआईआर 15.11.2025 को दर्ज की गई थी और यह स्वीकार किया गया है कि जून 2024 से ही आवेदक द्वारा कॉल करके उसे परेशान किया जा रहा था, फिर भी कॉल डिटेल्स उपलब्ध नहीं कराई गईं। स्पष्ट रूप से विवेचना अधिकारी सेवा प्रदाता से कॉल डिटेल्स प्राप्त करने में विफल रहे।

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

केस डायरी से विदित होता है कि विवेचना अधिकारी ने बहुत ही सतही तरीके से विवेचना की जिसमें तलाशी के विवरण और विवेचना के दौरान जिन लोगों से वे मिले, उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। यह भी स्वीकार किया गया मामला है कि पीड़िता ने अपनी चिकित्सकीय-विधिक जाँच/मेडिको-लीगल जांच से इनकार कर दिया था, और एफआईआर के दूसरे भाग में रिपोर्ट किए गए अनुसार घटना की तारीख, समय या स्थान का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि पक्षों के मध्य कोई वित्तीय विवाद है। अभिलेख से यह भी विदित होता है कि शादी के पश्चात पीड़िता आवेदक से बातचीत कर रही थी और उसने अपने प्लॉट/भूखण्ड को बेचने में मदद करने का अनुरोध किया था।

10. उपरोक्त तथ्यों और चर्चाओं को देखते हुए चूंकि अपराध असंज्ञेय है, इसलिए वारंट प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केस डायरी से यह भी विदित होता है कि जांच अधिकारी द्वारा केवल एक अस्पष्ट कार्रवाई की गई है। ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक अग्रिम अंतरिम जमानत का हकदार है।

11. इस प्रकरण को 29 जनवरी 2026 को सूचीबद्ध करें।

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. अगली सुनवाई की तारीख तक यदि उपरोक्त प्रकरण में आवेदक अर्थात अतीकुल रहमान को गिरफ्तार किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय द्वारा उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह 50,000/- रुपये का निजी मुचलका निम्नलिखित शर्त के साथ प्रस्तुत करे:-

(i) यह कि अभियुक्त-आवेदक जब भी आवश्यकता होगी, पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा और विवेचना में सहयोग करेगा;

(ii) अभियुक्त-आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई लालच धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से रुक जाए; और

(iii) यह कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

13. आवेदक यह वचन देता है कि वह सहयोग करेगा और विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा; अतः उसे 29 दिसंबर, 2025 को सुबह 11:30 बजे विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

14. पुलिस थाना - वजीरगंज, लखनऊ के एस.एच.ओ./थानाध्यक्ष भी विचाराधीन प्रकरण के पीड़ित को मामले के लंबित होने के बारे में सूचित करेंगे, जो रसीद के साथ एक प्रति-शपथ पत्र दाखिल करेगा।

15. माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई केस डायरी की छायाप्रति उन्हें वापस की जाती है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उपसंजात हुए विद्वान अधिवक्ता अभिलेख से यह सिद्ध नहीं कर पाए कि जमानत आवेदन में बताए गए तथ्यों के विपरीत कोई भी तथ्य मौजूद है। इस न्यायालय ने पाया कि प्रकरण के गुण दोष पर विचार करने के पश्चात ही आवेदक को अग्रिम जमानत दी गई थी। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं रख पाए, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आवेदक ने विवेचना की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है, या कोई ऐसा अन्य स्पष्ट तथ्य बता पाए जो प्रकरण के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो।

6. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका को एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है, और आवेदक अतीकुल रहमान को अभियोग के निस्तारण तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

(i) कि आवेदक जब भी आवश्यकता हो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके;

(iii) कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और

(v) कि आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

7. डिफ़ॉल्ट/व्यतिक्रम की स्थिति में जाँच एजेंसी के लिए इस आदेश को रद्द करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना खुला रहेगा।

मार्च 18, 2026

अरुण/-

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.